रजिस्टर्ड नं० पी०/एम० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 7 नवम्बर, 1987/16 कार्तिक, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

PERSONNEL (VIGILANCE) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th August, 1987

No. Per (Vig.) F-3 (PWD)-132/83.—In continuation of this Department's notification of even Number dated the 22nd May, 1987, the Governor, Himachal Pradesh, after consultation with the Lokayukta of Himachal Pradesh, is pleased to further extend the period for the submission of enquiry report relating to the purchase of GI/CI/HDP/LDP pipes and pipe fittings to 30-11-1987.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR,

KANWAR SHAMSHER SINGH,
Secretary.

LABOUR DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, *the* 18*th August*, 1987

No. LEP-2-9/87.—The following corrections may please be made in this Department notification No. 3-12/84-Shram-II, dated the 16th April, 1987:—

1. *Read* "Via Saloh" *in place of* "*via* Samoh" *appearing* in third line at Sr. No. 12;
2. *Read* "Chairman, H.P. State Electricity Board" *in place of* "Chief Conservator of Forest" *appearing* at Sr. No. 6; and
3. *Read* "Managing Director, Forest Corporation, Himachal Pradesh" *in place of* "General Manager, Nahan Foundry".

ADDENDUM

Shimla-17 1002, *the* 18*th August*, 1987

No. **LEP-2-9/87**-—Please *add* the following in the notification No. 3-12/-84-Shram-II, dated 16-4-87 at Sr No. 13 after Sr. No. 12:—

"Shri Partap Singh, Village Behna, P. O. Asanu, Tehsil Sadar, Mandi, H. P."

By order,
VIMLA BHAGAT,
Secretary (*Labour & Employment*).

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-17 1002, 17 अगस्त, 1987

संख्या. 5-26/83-एस0 टी0 वी0 (टी0 ई)-बोल-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 16-7-86 का अधिक्रमण करते हुए और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 14) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री धनी राम, आई0 ए0 एस0, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

आदेश द्वारा,
अत्तर सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English text of this Government notification No.* 5-26/83-*STV* (*TE*)-*Vol. II, dated* 17-8-1987, *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 17*th August*, 1987

No. 5-26/83-STV(LE)-Vol-II.—In supersession of this department notification of even number, dated 16-7-1986 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the

Himachal Pradesh Takniki Shiksha Board Act, 1986 (Act No. 14 of 1986), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Dhani Ram, I. A. S., Chairman, Board of School Education, Himachal Pradesh as Chairman, Himachal Pradesh Takniki Shiksha Board.

By order,
ATTAR SINGH,
F. C.-cum-*Secretary.*

जिला निर्वाचन कार्यालय, नाहन

अधिसूचना

नाहन-173 001, 29 सितम्बर, 1987

संख्या 7-एस0 आर0 एम0-1/85-ई0 एल0 एन0.—इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यांक अधिसूचना दिनांक 11 सितम्बर, 1987 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण अंक), दिनांक 19 सितम्बर, 1987 के पृष्ठ 1800 पर प्रकाशित हुई है, में दी गई सारणी के स्तम्भ 4 में क्रम संख्या 3 पर शिलाई पंचायत समिति के सामने निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम "मकान सिंह" के स्थान पर "भवान सिंह" पढ़ा जाव।

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन

कार्यालय आदेश

नाहन, 29 सितम्बर, 1987

संख्या पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0(8) 10/86-6121.—चूंकि उप-सम्भाग अधिकारी (नागरिक), राजगढ़ ने अधोहस्ताक्षरीको सूचित किया है कि श्री मोहन लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत दाहन, विकास खण्ड पच्छाद प्रधान पद के नाते कुछ ऐसे जघन्य कार्य (Nefarious activities) कर रहे हैं जिससे वह अपने आप को जनता के सम्मुख एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभर सके और वह लोगों पर विशेषकर सरकारी कर्मचारियों पर प्रहार कर रहा है और उनको उनके कार्यपालन में बाधा पैदा कर रहा है ;

और चूंकि उप-सम्भाग अधिकारी (नागरिक), राजगढ़ ने उक्त आरोप की पुष्टि में श्री मोहन लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत दाहन के जघन्य कार्यों के सम्बन्ध में निम्न उदाहरण प्रस्तुत किए हैं :—

(1) 1-11-1984 को श्री मोहन लाल प्रधान अपने साथी सर्वश्री गीता राम, दया राम, स्यालकू और भूप सिंह के साथ पटवार खाना में गैर-कानूनी तौर पर जबर्दस्ती घुस गए और श्री जगजीत सिंह पटवारी की पिटाई की और पटवारी के सिर के बाल भी काट दिए। इस बारे श्री मोहन लाल तथा उसके साथियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 495, 147, 149 और 506 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया। यह मामला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट राजगढ़ की अदालत में चल रहा है ;

(2) 25-6-1986 को श्री मोहन लाल प्रधान ने एच0 पी0 एम0 सी0 के ग्रेडिंग हाउस में कनिष्ठ लेखापाल श्री आर0 एल0 सक्लानी को शाम के 6-45 बजे बुलाकर पीटा। श्री सक्लानी ने उप-सम्भाग अधिकारी (नागरिक), राजगढ़ के पास शिकायत की और उन्होंने एस0 एच0 ओ0 राजगढ़ को यह शिकायत भेजी। परन्तु श्री मोहन लाल प्रधान के डर के मारे किसी ने उसके विरुद्ध शहादत नहीं दी ;

(3) 26-6-86 को श्री मोहन लाल प्रधान के अपोंतेजना पर उसके नौकर सर्वश्री गीता राम और दाता राम एच0 पी0 एम0 सी0 के ग्रेडिंग हाउस में रात को वहां नियुक्त कर्मचारियों को मारने तथा धमकाने घुसे क्योंकि श्री सक्लानी ने प्रधान के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। श्री गीता राम और दाता राम के विरुद्ध भी मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 451, 506, 109 और 34 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है ;

(4) 1-8-1986 को पुनः श्री मोहन लाल प्रधान ने श्री आर0 एल0 सक्लानी को उस समय चोट पहुंचाई जब वह अपने कार्यालय जा रहा था और इस प्रकार श्री मोहन लाल ने श्री सक्लानी को सरकारी कार्य करने से रोका। श्री मोहन लाल प्रधान के विरुद्ध फिर से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 और 332 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में श्री मोहन लाल को 6-8-86 को गिरफ्तार किया गया और उसे मु0 5000/– रु0 की जमानत पर तथा वैयक्तिक बन्धपत्र देने के बाद रिहा किया गया। यह मामला भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट राजगढ़ की अदालत में चल रहा है ;

(5) 10-9-87 को श्री मोहन लाल प्रधान ने सर्वश्री गीता राम, गांव थानाधार, जवाहर लाल गांव कुलथ, गुड्डू, गांव चुरवाधार, अरोडा गांव लोनी पुल के साथ 11.30 से 1.30 बाद दोपहर तक बियर-बार राजगढ़ में शराब पी और उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), राजगढ़ की जीप राजगढ़ बाजार में देखकर एम0 डी0 एम0 राजगढ़ मुर्दाबाद के नारे लगाए। नारे लगाने में सर्वश्री गीता राम और जवाहर लाल ने श्री मोहन लाल का साथ दिया। वह नारे एस0 एच0 ओ0 राजगढ़ ने स्वयं सुने और उन्होंने इस बारे पुलिस रोजनामचा में रपट दर्ज की। उसके बाद श्री मोहन लाल कार में बैठ कर दिदग गया और वहां पर अधिशासी अभियन्ता राजगढ़, सहायक अभियन्ता राजगढ़ तथा श्री इन्दर सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत दिदग को गालियां दीं ;

श्री मोहन लाल प्रधान द्वारा शराब पीकर इस प्रकार की हरकत करना प्रधान पद का दुरुपयोग तथा गरिमा के विरुद्ध है और सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यपालन में रुकावट पैदा करना है ;

(6) रजिस्ट्री संख्या 84/87, दिनांक 27-7-1987 जो सब-रजिस्ट्रार (तहसीलदार), राजगढ़ द्वारा रजिस्टड की गई के अनुसार हिमफैड शिमला में खसरा न0 499/69/2 तादादी, 0-18 बीघा भूमि जो गांव थड़ा (लोनीपुल) में स्थित है सर्वश्री वेद प्रकाश, जय प्रकाश, दौलत राम, भागसिंह, जुगिन्दर सिंह, श्रीमती सुनपा तथा राम स्वरूप, निवासी थड़ा से मु0 9000/– में खरीद की। परन्तु रजिस्ट्री हो जाने के बाद श्री गीता राम पुत्र श्री धनुराम, निवासी थानाधार ने सब-रजिस्ट्रार (तहसीलदार), राजगढ़ को सूचित किया कि रजिस्ट्री के समय सर्वश्री राम स्वरूप, जय प्रकाश, वेद प्रकाश और श्रीमती सुनपा उपस्थित नहीं थे परन्तु उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति उपस्थित किए गए। इस मामला की छानबीन करने पर पाया गया कि वास्तव में ही सर्वश्री रामस्वरूप जय प्रकाश, वेद प्रकाश, और श्रीमती सुनपा रजिस्ट्री के समय उपस्थित नहीं थे। इनके स्थान पर जो अन्य व्यक्ति उपस्थित किए गए उनकी शिनाख्त श्री मोहन लाल प्रधान, ग्राम पंचायत दाहन ने सब-रजिस्ट्रार राजगढ़ के सम्मुख बतौर रामस्वरूप, जयप्रकाश, वेद प्रकाश और श्रीमती सुनपा के नाते की। सब-रजिस्ट्रार (तहसीलदार), राजगढ़ ने इस मामला में एफ0 आई0 आर0 संख्या 83/87, दिनांक 12-9-87 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467 तथा 120-बी के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन राजगढ़ में दर्ज की और जब श्री मोहन लाल प्रधान को यह पता लगा कि उसके विरुद्ध मामला पुलिस में दर्ज हो गया है तो उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 436 के अन्तर्गत 17-9-87 को जिला तथा सशन जज, नाहन की अदालत से पूर्व विधारित जमानत करवा ली। श्री मोहन

लाल प्रधान द्वारा सब-रजिस्ट्रार (तहसीलदार), राजगढ़ के सम्मुख वास्तविक व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की शिनाख्त करना भावक ही गम्भीर मामला है और प्रधान पद का सरासर दुरुपयोग है;

और चूंकि उक्त आरोप की पुष्टि में दिए गए उपरोक्त वर्णित उदाहरणों से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि श्री मोहन लाल प्रधान अपने प्रधान पद का दुरूपयोग कर रहा है और उन द्वारा किए जा रहे जघन्य कार्य प्रधान पदकी गरिमा के विरुद्ध हैं।

अतः मैं, अशोक ठाकुर, उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 में प्राप्त हैं श्री मोहन लाल प्रधान, ग्राम पंचायत दाहन, तहसील राजगढ़, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर को यह कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (डी) के अन्तर्गत उक्त वर्णित आरोपों के कारण अपने कर्तव्य पालन में दुराचार का दोषी पाया गया है और श्री मोहन लाल का प्रधान पद पर रहना जनहित में नहीं है और क्यों न उन्हें प्रधान पद से निलम्बित किया जावे और श्री मोहन लाल प्रधान को यह आदेश देता हूं कि वह उक्त आरोपों की सफाई में अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर सहायक आयुक्त (विकास), पच्छाद के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को दें और यदि उक्त अवधि के भीतर उनका कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि उन्हें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है और उनके विरुद्ध नियमानुसार एक तरफा कार्यवाही की जाएगी।

अशोक ठाकुर,
उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन ।

कार्यालय उपायुक्त, जिला शिमला

अधिसूचना

शिमला-1, 19 अक्तूबर, 1987

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (3)-20/85-3392-3402.—मैं, जे0 पी0 नेगी, उपायुक्त, जिला शिमला, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम 1971 के नियम 19(बी) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला शिमला के निम्नलिखित पदाधिकारियों के त्याग-पत्रों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की सिफारिशों के आधार पर तुरन्त स्वीकृत करता हूं तथा इनके स्थानों को रिक्त घोषित करता हूं :—

क्र0 सं0	नाम पदाधिकारी	विवरण
1	श्री प्रकृति भूषण सिंह	प्रधान, ग्राम पचायत घोड़ना, खण्ड विकास ठियोग ।
2.	श्री सीता राम	उप-प्रधान, ग्राम पंचायत क्यार, खण्ड विकास ठियोग ।

जे0 पी0 नेगी,
उपायुक्त, जिला शिमला।

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 28 सितम्बर, 1987

संख्या एल0 एस0 जी-ए(4) 10/75-I.—इस विभाग की सम संख्यांक अधिसूचना, दिनांक 21 जनवरी, 1986 के क्रम में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 19) की धारा 257 की उप-धारा (1) (डी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ठाकुर बलवान सिंह, गांव बाड़ी को गैर सरकारी सदस्य स्वर्गीय श्री अजुध्या दास, गैर-सकारी सदस्य के स्थान पर अधिसूचित क्षेत्र समिति देहरा को बाकी समय के लिये तत्काल से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
सचिव।

नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हि0 प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।